43/2021

13/9/22 पक्षकारान वकील उपस्थित।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी गण पूर्वज हाजाराम के वंशज है। हाजाराम मूल निवासी गालानाडी के थे। जिनें पांच पुत्र दुर्गाराम, रावताराम, भगाराम, तिलोकाराम व छोगाराम हुए। सभी भाईयों का वक्त सेटलमेंट में सयुक्त हिन्दु खानदान था, सभी साथ में रहते थे। संयुक्त हिन्दु खानदान के रहते छोगाराम लाऔलाद फौत हो गया तो उसके हिस्सा शेष जिवित भाईयों दुर्गा, रावता, भगा, तिलोका में निहीत हो गया। कि ग्राम गालानाडी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 63, 89, 97, 103 , 140 कुल रकबा 126.01 बीघा में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का संयुक्त हक हिस्सा निहित हो गया। इसके अतिरिक्त ग्राम डांगवा जिसके खसरा नम्बर 04 व 24 कुल रकबा 111.06 बीघा की कृषि भूमि विप्रार्थी सं. 01,02 के साथ प्रार्थी के वालिद तिलोकाराम व विप्रार्थी सं. 3 रावताराम का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त था। वक्त सेटलमेंट गालानाडी की कृषि भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई, परन्तु ग्राम डागवा की भूमि में प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 3 का नाम सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से अंकित नहीं करते हुए केवल मात्र विप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज भी विधमान है। इस प्रकार खानदानी सजरा एक एवं वक्त सेंटलमेंट संयुक्त हिन्दु परिवार होने से ग्राम गालानाडी के अनुसार ही ग्राम डांगवा के खसरा नम्बर 4 व 24 में विप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 3 के हक हिस्सानुसार खातेदारी की भूमि में अमलदरामद करने एवं विप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करते हुए राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 स्व. हाजाराम के वंशज है लेकिन वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही हाजाराम की मृत्यु हो चुकी थी, प्रार्थी एवं विप्रार्थी पृथक–पृथक भूमि पर क[illegible] काश्त कर रहे थे तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी विभाजित परिवा[illegible] विप्रार्थी सं 1 व 2 के स्वअर्जित की भूमि है, जिसक[illegible] के मध्य सहमति से बटवाड़ा भी होकर नये खसरा नम्बर कायम हो चुके है [illegible]ाम गालानाडी की भूमि संयुक्त पाचों भाईयों की सामलाती भूमि थी, छोगाराम के लाऔलाद फौत होन पर ग्राम गालानाडी भूमि शेष समस्त भाईयों में बराबर खाते में दर्ज हुई। इस प्रकार ग्राम डांगवा की भूमि केवल मात्र विप्रार्थी सं. 1 व 2 के स्वअर्जित एवं खातेदारी में दर्ज होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:27:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

43/2021

प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से आवेदन खारिज करते हुए जरिये स्थगन प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे, कि वे विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी हक हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा कब्जा इत्यादि नहीं करें।

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि विवादित ग्राम डांगवा जिसके खसरा नम्बर 04 व 24 कुल रकबा 111. 06 बीघा की कृषि भूमि विप्रार्थी सं. 01,02 के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त ग्राम गालानाडी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 63, 89, 97, 103 , 140 कुल रकबा 126.01 बीघा में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। दानों पक्षों में विवाद का मुख्य कारण एक ग्राम में सामलाती होना तथा दूसरे ग्राम में सामलाती अथवा सामलाती पक्षकार का नाम दर्ज नहीं होने को लेकर है। ऐसी स्थिति में हक हिस्सो का निर्धारण मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का. अधि. में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर किया जा सकेगा। परन्तु दोनों पक्षों के मध्य कब्जा काश्त को लेकर उत्पन्न विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनो पक्षों को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे कि यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान मौका स्थिति में फेरबदल करने पर उतारू होते है अथवा एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है,तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या सं. 1 से 3 के कायम मुकाम को मूलवाद के निर्णय तक जरियें स्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि तहसील सिणधरी के ग्राम डांगवा जिसके खसरा नम्बर 04 व 24 कुल रकबा 111.06 बीघा भूमि के संबध में दोनो पक्ष किसी भी पक्ष के कब्जा काश्त में दखलदान्जी नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:27:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]यक कलक्टर
SDO सिणधरी